प्रेस नोट-दिनांक: 11.11.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली, दिनांक 11.11.2024

□लुधियाना से बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल वध हेतु तस्करी के दौरान 03 तस्कर गिरफ्तार
□ट्रक में क्रूरतापूर्वक लादकर तस्करी के दौरान अलीनगर पुलिस टीम ने 15 गोवंश को किया बरामद

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु लगातार प्रचलित अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सदर व आशुतोष, क्षेत्राधिकारी PDDU नगर के पर्यवेक्षण में दिनांक 10.11.2024 को थाना प्रभारी अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा द्वारा गठित टीम के उ0नि0 मनीष कुमार सिंह मय हमराह द्वारा पुलिस चौकीक्षेत्र जफरपुर सिंधीताली पुल चेकिंग की जा रही थी इसी दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुयी कि पशु तस्करों द्वारा एक ट्रक में गोवंश लादकर वाराणसी के तरफ से बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल वध हेतु ले जाया जा रहा है।
इस सूचना पर NH 19 हाइवे सिंधीताली पुल पर घेराबंदी करके वाराणसी की तरफ से आने वाली गाडियो की चेकिंग प्रारम्भ की गई। कुछ देर बाद सामने से आ रही एक ट्रक को पुलिस टीम द्वारा इशारा किया गया तो वाहन चालक ने वाहनों की कतार देखकर भागने लगा। जिसपर पुलिस टीम द्वारा मौके पर ही चालक को पकड़ लिया गया तथा परिचालक सीट पर बैठे हुये दो व्यक्तियो को भी पकड़ लिया गया।
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम क्रमशः-
1.अरदीप सिंह पुत्र बलवन्त सिंह निवासी हाउस नं0 2830 ताजपुर रोड जगदीशपुर थाना डिविजन नं0 7 जिला लुधियाना पंजाब उम्र 25 वर्ष
2.कवलजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह निवासी ग्राम 7B मातारानी मोहल्ला दुरी, जिला समरूर पंजाब उम्र 37 वर्ष
3.संजय कुमार पुत्र कन्हैया सिंह निवासी भटौली थाना जगदीशपुर जिला भोजपुर बिहार उम्र 24 वर्ष के रूप में पहचान की गई।बरामद ट्रक वाहन संख्या PB10FF9057 से 15 गोवंशों की बरामदगी की गई।
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि ट्रक में गोवंश लदे है जिन्हे खन्ना मण्डी लुधियाना से लादकर बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल वध हेतु ले जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों की जामा तलाशी में 02 स्मार्ट फोन, 4000 रूपये नकद बरामद किया गया।
पंजीकृत अभियोग
मु.अ.सं. 302 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर चन्दौली
गिरफ्तार अभियुक्त
1.अरदीप सिंह पुत्र बलवन्त सिंह निवासी हाउस नं0 2830 ताजपुर रोड जगदीशपुर थाना डिविजन नं0 7 जिला लुधियाना पंजाब उम्र 25 वर्ष
2.कवलजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह निवासी ग्राम 7 B मातारानी मोहल्ला दुरी, जिला समरूर पंजाब उम्र 37 वर्ष
3.संजय कुमार पुत्र कन्हैया सिंह निवासी भटौली थाना जगदीशपुर जिला भोजपुर बिहार उम्र 24 वर्ष
बरामदगी
15 गोवंश
01 ट्रक PB10FF9057
02 समार्ट फोन
4000/- रूपये नकद
पुलिस टीम
थानाप्रभारी अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा
उपनिरीक्षक मनीष कुमार सिंह
का. सत्येन्द्र यादव, का. दीपक यादव,का.राम मूरत चौहान

यातायात पुलिस चंदौली

□यातायात माह नवंबर में यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा चलाया वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 779 वाहनों का चालान करते हुए 10,28,500/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।
□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस के संचालित ऑटो का भी किया जा रहा चालान
□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा यातायात माह नवंबर के अवसर पर जनपद में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी, ब्लैक फ़िल्म लगे वाहन, पिकअप बिना रजिस्ट्रेशन व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 779 वाहनों का चालान करते हुए 10,28,500/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने व दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार चालान की संख्या-

1.बिना हेलमेट-553
2.नो पार्किंग-42
3.तीन सवारी-50
4.सीट बेल्ट-22
5.बिना वैलिड इनस्योरेंस के वाहन चलाना-05
6.विधि नियमों का उल्लंघन (179)-35
7.खतरनाक ढंग से वाहन चलाना-06
8.माडीफइड सायलेंसर/वाहन-01
9.गलत नंबर प्लेट-27
10.सेक्शन 3 तथा 4 का उल्लघंन-07
11.बिना वैलिड फिटनेस के वाहन चलाना-04

12.मांगने पर ड्राइविंग लाइसेन्स न दिखा पाना-13

13.मांगने पर परमिट सर्टिफिकेट न दिखा पाना/ परमिट शर्तों का उल्लंघन-03

14.वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना-06

15.नाबालिग द्वारा वाहन चलाना -01

16.नो एंट्री का उल्लंघन करना-02

17.सीज-02

यातायात नियमों के उलंघन में दिनांक 11.11.2024 को यातायात माह नवंबर के शुभारंभ के अवसर पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-779

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-10,28,500/-₹ (दस लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ रुपए)